

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या- /दो-380 (57) ए/खण्ड-5/लाइसेंस/थो0भा0आ0दर/टेण्डर/2023-24  
प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,  
सूचना निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
सूचना भवन, 22-पार्क रोड़, लखनऊ।

/दिनांक फरवरी, 13, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भांग की थोक आपूर्ति हेतु ई-टेण्डर नोटिस के सम्बंध में  
विज्ञप्ति का प्रकाशन।

महोदय,

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति संख्या.....2515...../दो-380(57)ए/ खण्ड-5/  
लाइसेंस/थो0भा0आ0दर/टेण्डर/2023-24/दिनांक.....13-02-2023 का अवलोकन करने का  
कष्ट करें। उक्त विज्ञप्ति की एम0एस0 वर्ड फाइल एवं पी0डी0एफ0 फॉर्मेट की फाइल पैन ड्राइव में  
संलग्न कर प्रेषित की जा रही है तथा आज दिनांक.....13-02-2023.....को इन फाइलों को आपके  
विभाग के ई-मेल [upsoochna@gmail.com](mailto:upsoochna@gmail.com) पर भी प्रेषित कर दिया गया है।

उक्त विज्ञप्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भांग की थोक आपूर्ति हेतु ई-टेण्डर से  
संबंधित है। अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक.....20-02-2023 के पूर्व सभी  
प्रमुख समाचार पत्रों के प्रदेश के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(संथिल पांडियन सी0)

आबकारी आयुक्त  
उत्तर प्रदेश

संख्या- 2517 /दो-380 (57) ए/खण्ड-5/लाइसेंस/थो0भा0आ0दर/टेण्डर/2023-24/तददिनांक।

प्रतिलिपि सहायक आबकारी आयुक्त (टास्कफोर्स)/वेब मास्टर को विज्ञप्ति संलग्न कर इस आशय से  
प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को आबकारी विभाग की वेबसाइट [www.upexcise.in](http://www.upexcise.in) के होमपेज पर अपलोड एवं  
प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

मेरा इफोर्क (येका प्रदाता)  
कृपया उपरोक्त को [www.upexcise.in](http://www.upexcise.in)  
वेबसाइट के होमपेज पर अपलोड कराने  
सुनिश्चित करें।

  
राजेश कुमार मिश्र  
सहायक आबकारी आयुक्त  
मुख्यालय

(संथिल पांडियन सी0)

आबकारी आयुक्त  
उत्तर प्रदेश

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या- 2515

/दो-380(57) ए/खण्ड-5/लाइसेंस/थो0भा0आ0दर/ई-टेंडर/2023-24/दिनांक:फरवरी, 13, 2023

ई-टेंडर नोटिस

(वर्ष 2023-24 में मांग की थोक आपूर्ति हेतु ई-टेंडर)

वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश के विभिन्न प्रमारों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों में मांग की थोक आपूर्ति हेतु टू बिड सिस्टम पर NIC के वेब पोर्टल [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) के माध्यम से ई निविदा आमंत्रित की जाती है। लखनऊ प्रमार को तीन हिस्सों 1-लखनऊ प्रमार-क (मात्र जनपद रायबरेली) 2-लखनऊ प्रमार-ख (मात्र जनपद लखनऊ) 3-लखनऊ प्रमार-ग(जनपद उन्नाव, हरदोई, सीतापुर व खीरी) के रूप में विभाजित किया गया है, अतः इन तीनों हिस्सों को अलग-अलग प्रमार मानते हुये इन पर पृथक-पृथक निविदा आमंत्रित की जाती है। एक टेंडर फार्म पर अधिकतम दो प्रमारों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों के लिए मांग की थोक आपूर्ति हेतु टेंडर दिया जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा मात्र एक टेंडर प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक ई-टेंडर के साथ रूपया 10,000/- (दस हजार) की धरोहर धनराशि का शिड्यूल बैंक के ड्राफ्ट/फिक्सड डिपोजिट रसीद, जो आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के पदनाम से प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, के रूप में इसकी पीडीएफ स्कैन्ड फाइल अपलोड की जायेगी तथा उसकी मूलाप्रति कैम्प कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊमें तकनीकी बिड टेंडर खुलने से पूर्व जमा करनी होगी। ई-टेंडर में प्रतिमाग करने के लिये आवेदक के पास डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

ई-टेंडर स्वीकृति की सूचना मिलने पर ई-टेंडरदाता को एक सप्ताह के अन्दर नियमों/शर्तों के यथोचित पालन के लिए जमानत के तौर पर रूपया 25,000/- (पचीस हजार) धनराशि की किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत सावधि जमा रसीद जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पद नाम से प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, प्रतिभूति के रूप में जमा कर प्रपत्र आई0डी0-3 में अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी। निविदा के साथ निम्न अभिलेखीय प्रमाण भी अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

- 1- निविदादाता द्वारा आर्थिक स्थिति के प्रमाण के रूप में न्यूनतम रूपया 1,00,000/- (एक लाख) का बैंलेस प्रदर्शित करने वाली बैंक या डाकखाने की सेविंस एकाउन्ट के पास-बुक की छायाप्रति या सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत बैंक/डाकखाने के एकाउन्ट स्टेटमेंट की प्रति को ई-टेंडर की वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर अपलोड करना होगा।
- 2- अपने निवास के जनपद के जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र व जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त अदेयता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- 3- राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, नाम, पिता का नाम, पता तथा प्रमाणित हस्ताक्षर का विवरण अपलोड करना होगा।
- 4- रूपया 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र अपलोड करना होगा। जिसमें टेंडरदाता यह विशेष रूप से उल्लेख करें कि शपथकर्ता के विरुद्ध संयुक्त प्राप्त आबकारी अधिनियम अथवा एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत कोई आपराधिक अभियोग पंजीकृत नहीं है। यह भी उल्लेख किया जाय यदि शपथ पत्र में किये गये कथन मविष्य में असत्य पाये जाते हैं तब शपथ कर्ता का चयन निरस्त कर दिया जाय।
- 5- धरोहर धनराशि का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति आदि) अपलोड करना होगा।
- 6- असेसमेंट वर्ष 2022-23 का आयकर रिटर्न, आवेदक के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित अन्य सुसंगत अभिलेख अपलोड करना होगा।
- 7- वर्ष 2022-23 के जिन थोक मांग आपूर्तकों को अन्य जनपदों की अतिरिक्त आपूर्ति आवंटित की गयी है, उन्हें संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अथवा शपथ-पत्र अपलोड करना होगा कि उनके द्वारा यथानिर्दिष्ट मांग की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति जनपद को कर दी गयी है, जो संतोषजनक है।
- 8- वर्ष 2023-24 के लिए चयनित आवेदक को आई0डी0-3 अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए गत वर्ष/वर्षों में जमा प्रतिभूति को अग्रनीत नहीं किया जायेगा, अपितु आवेदन पत्र के साथ नई प्रतिभूति धनराशि के रूप में किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत रूपया 25,000/- (पचीस हजार)की सावधि जमा रसीद अपलोड करना होगा।

ई-टेंडर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत है-

Tender Publish Date on Website <a href="http://www.etender.up.nic.in">www.etender.up.nic.in</a>	20.02.2023
Documents Download Start Date	20.02.2023 :: 11.00AM
Clarification Start Date	20.02.2023
Prebid Conference	23.02.2023 :: 11.00AM
Clarification End Date	27.02.2023
Documents Download and Submission End Date	28.02.2023 :: 12.00Noon
Technical Bid Opening Date	01.03.2023 :: 2.00PM
Financial Bid Opening Date	01.03.2023 :: 6.00PM

आई0डी0-2 प्रपत्र फाइनेशियल बिड के अन्तर्गत तथा अन्य समस्त अभिलेख (बिन्दु 1 से 8 के अनुसार) तकनीकी बिड के अन्तर्गत अपलोड किये जायेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे। आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दें।


प्राप्त ई-टेंडर की टेक्निकल बिड दिनांक 01.03.2023 को ही अपराह्न 02 बजे तक फाइनेशियल बिड अपराह्न 06.00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों के समक्षकैम्प कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भवन, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में खोले जायेंगे एवं प्री-बिड कान्फेन्स भी इसी स्थान पर आयोजित होगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए थोक मांग आपूर्ति हेतु प्रमारवार, अधिकतम दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी है-

प्रमार का नाम	वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तावित अधिकतम थोक मांग आपूर्ति दर (प्रति किलोग्राम ₹0 में)	वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम थोक मांग आपूर्ति दर (प्रति किलोग्राम ₹0 में)
1- आगरा, अलीगढ़ झांसी एवं मीरजापुरप्रमार के जनपदों के लिए	24/-	8/-
2-इलाहाबाद एवं चित्रकूटधाम प्रमार के जनपदों के लिए	20/-	8/-
3-प्रदेश के शेष प्रमारों के जनपदों के लिए	19/-	8/-

नोट- 1-(1) थोक आपूर्ति की दर रूपया 8/- प्रति कि0ग्रा0 से कम स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2-किसी प्रमार के लिये 01 से अधिक निविदादाता द्वारा समान स्वीकार योग्य दर प्रस्तावित की जाती है तब उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष मैनुअल लाटरी की प्रक्रिया से आपूर्तिक का चयन किया जायेगा।

  
(संथिल प्रॉडियन सी0)  
आबकारी आयुक्त  
उत्तर प्रदेश।